

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-321 / 2025

1 बुड.सिंह पुत्र धनसिंह जाति रायसिंह निवासी ढाणी चक 10 एनजीसी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

1 सुन्दरा बाई पुत्री धनसिंह पत्नी गुरबक्शसिंह जाति रायसिंह निवासी चूहडीवाला विस्ती
तहसील व जिला फाजिल्का।


प्रतिवादीया

डिक्री

दिनांक.....19.8.25.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री परमजीत सिंह व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम
निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है चकनं० 15 सीडीआर जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं०
90/88 में अंकित कुल 1.012 हैं० नहरी मय गै०मु० आराजी का वादी खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाकर चक नं० 15 सीडीआर के खाता सं० 90/88 मे से विद्याबाई का
नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित
किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी
में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो
तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।